

मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
मंत्रालय

क्र एफ-
प्रति,

/सू.प्रौ./प्र.रा.आ./2016/204

भोपाल, दिनांक 12/01/2016

समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
समस्त अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व
समस्त तहसीलदार / नायब तहसीलदार
मध्यप्रदेश।

विषय : राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के बैठने के लिए न्यूनतम दिवस/
समय सुनिश्चित करने के संबंध में
संदर्भ : प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को पत्र क्रमांक एफ 2-6/
2016/ सात-6 दिनांक 28/11/2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)।
जिसके द्वारा राजस्व न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के बैठने के लिए न्यूनतम दिवस/
समय सुनिश्चित करने के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए गए हैं -


1. कलेक्टर - सप्ताह के प्रत्येक सोमवार के अपरान्ह में।
 2. अपर कलेक्टर/ अनुविभागीय अधिकारी/ तहसीलदार/ नायब तहसीलदार-
सप्ताह में कम से कम 3 दिन अपरान्ह में, जो कलेक्टर स्थानीय परिस्थितियों
को ध्यान में रखकर किया जाये। कलेक्टर इन दिनों के अपरान्ह में राजस्व
अधिकारियों से संबंधित बैठक आयोजित नहीं करेंगे।
2. उक्त संबंध में निर्देश दिए जाते हैं कि पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालय में बैठने
के लिए तत्काल न्यूनतम दिवस/ समय सुनिश्चित करें तथा जिलेवार राजस्व न्यायालयों में
सुनिश्चित किए गए दिवसों व समय की जानकारी तत्काल इस कार्यालय के ई-मेल
prirevcom@mp.gov.in पर उपलब्ध करा दें।


(अरूण पाण्डेय)
प्रमुख सचिव

म.प्र.शासन, राजस्व विभाग
भोपाल, दिनांक 12/01/2016

पृ.क्र एफ-
प्रतिलिपि- /सू.प्रौ./प्र.रा.आ./2016/205

प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।


प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन, राजस्व विभाग